This is a digitally signed Gazette, to verify click here.
http://rajpatrahimachal.nic.in

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

बुधवार, 14 जनवरी, 2026 / 24 पौष, 1947

हिमाचल प्रदेश सरकार

INDUSTRIES DEPARTMENT
(SACTION-A)

NOTIFICATION

Shimla-2, the 7th January, 2026

No. IND-A(A)1-1/2025-Vol-I.—Consequent upon the funds released by Government of India for setting up Unity Mall and further submission of DPR by the selected bidder, the Governor

of Himachal Pradesh, is pleased to constitute a Committee of following members to examine the Detailed Project Report (as submitted by the Proponent) in accordance with RFP & Concessionaire Agreement:—

1.	Chief Engineer, HPPWD, Kangra Zone	..	*Chairman*
2.	Superintending Engineer, HPSIDC Ltd., Shimla	..	*Member*
3.	Superintending Engineer (BDP), HPBDPIL	..	*Co-ordinator*

The said Committee will submit its report within seven (7) days to the Director of Industries, Himachal Pradesh.

By order,
Sd/-
(R.D. NAZEEM, I.A.S.),
Additional Chief Secretary (Industries).

प्रशासनिक सुधार, कार्मिक विभाग

हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्त के पदों पर नियुक्ति

विज्ञापन संख्या: 01/2026 **दिनांक: 12-01-2026**

आवेदन प्रारंभ होने की तिथि: 13-01-2026	**आवेदन की अंतिम तिथि: 11-02-2026**

1. इस विभाग के विज्ञापन संख्या 11/2025 दिनांक 28-11-2025, जिसके माध्यम से हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्त के पदों को भरने हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए थे, के स्थान पर, हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग के कार्यालय को शिमला से कांगड़ा जिला के धर्मशाला में स्थानांतरित किए जाने संबंधी नीतिगत निर्णय के कारण, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15 (5) एवं (6) में निहित प्रावधानों के अंतर्गत, हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्त के पदों पर चयन/नियुक्ति हेतु भारत के नागरिकों से नवीन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्त सार्वजनिक जीवन में प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे, जिन्हें विधि, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसंचार माध्यम अथवा प्रशासन एवं शासन के क्षेत्र में व्यापक ज्ञान एवं अनुभव हो तथा वे संसद के सदस्य या किसी राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा के सदस्य न हों, जैसा भी मामला हो, और न ही किसी अन्य लाभ के पद पर आसीन हों, न किसी राजनीतिक दल से संबद्ध हों तथा न ही कोई व्यवसाय कर रहे

हों अथवा किसी पेशे का अनुसरण कर रहे हों। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्त का पदधारण काल पदभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष अथवा 65 **वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, होगा।**

2. **पात्र एवं इच्छुक अभ्यर्थी राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्त के पदों हेतु निर्धारित प्रपत्र (अनुबंध-ए एवं अनुबंध-बी) पर अपना बायोडाटा भेज सकते हैं, जिन्हें प्रशासनिक सुधार विभाग की वेबसाइट** www.himachal.nic.in/ar **से डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदन सचिव (प्रशासनिक सुधार), हिमाचल प्रदेश सरकार, कक्ष संख्या** A201 **या** A203 **(आर्म्सडेल भवन), हिमाचल प्रदेश सचिवालय, शिमला-**2 **के नाम संबोधित किए जाएं अथवा ई-मेल के माध्यम से arsecy-hp@nic.in या arbr-hp@nic.in पर भेजे जा सकते है।**

3. **आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि 11-02-2026 को रात्रि 11:59:59 बजे तक है। अपूर्ण आवेदन अथवा निर्धारित समय-सीमा के पश्चात प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।**

यह विज्ञापन प्रशासनिक सुधार विभाग की वेबसाइट www.himachal.nic.in/ar **तथा हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग की वेबसाइट** www.hp.gov.in/sic **पर भी उपलब्ध है।**

नोट: किसी भी प्रकार की जानकारी हेतु कार्य दिवसों में प्रातः 10:00 **बजे से सायं** 5:00 **बजे के बीच दूरभाष संख्या 0177-2880400, 2620560 पर संपर्क किया जा सकता है।**

अनुबंध–क

राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के पद हेतु आवेदन पत्र हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग, शिमला-2
प्रपत्र

नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ चिपकाएँ

1. आवेदक का नाम:
.....
2. पिता/पति का नाम:
.....
3. जन्म तिथि:
.....
4. वर्तमान पता:
.....
5. स्थायी पता:
.....

6. संपर्क विवरण:

(a) टेलीफ़ोन नंबर (STD कोड सहित): .....
(b) मोबाइल नंबर: .....
(c) ई-मेल आईडी: .....

7. शैक्षणिक योग्यता:

.....

8. विशेषज्ञता / विशिष्टता:

.....

9. वर्तमान व्यवसाय / पेशा:

.....

10. उपलब्धियाँ / कार्य अनुभव (संक्षेप में):

.....

.....

तारीख: _____

स्थान: _____

हस्ताक्षर: _____

आवेदक का नाम: _____

मोबाइल नंबर: _____

_____

अनुबंध–ख

राज्य सूचना आयुक्त के पद हेतु आवेदन पत्र हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग, शिमला-2

प्रपत्र

नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ चिपकाएँ

1. आवेदक का नाम:

.....

2. पिता/पति का नाम:

.....

3. जन्म तिथि:

.....

4. वर्तमान पता:

.....

5. स्थायी पता:

.....

6. संपर्क विवरण:

(a) टेलीफ़ोन नंबर (STD कोड सहित): .....

(b) मोबाइल नंबर: .....

(c) ई-मेल आईडी: .....

7. शैक्षणिक योग्यता:

.....

8. विशेषज्ञता / विशिष्टता:

.....

9. वर्तमान व्यवसाय / पेशा:

.....

10. उपलब्धियाँ / कार्य अनुभव (संक्षेप में):

.....

.....

तारीख: _____

स्थान: _____

हस्ताक्षर: _____

आवेदक का नाम: _____

मोबाइल नंबर: _____

_____

ADMINISTRATIVE REFORMS PERSONNEL, DEPARTMENT

APPOINTMENT TO THE POSTS OF STATE CHIEF INFORMATION COMMISSIONER AND STATE INFORMATION COMMISSIONER IN HIMACHAL PRADESH STATE INFORMATION COMMISSION

Advertisement No. 01/2026 **Dated: 12-01-2026**

Opening Date: 13-01-2026	**Closing Date: 11-02-2026**

1. In supersession of this department's advertisement No.11/2025, dated 28-11-2025 to fill up the posts of State Chief Information Commissioner and State Information Commissioner in Himachal Pradesh State Information Commission, fresh applications are invited from citizen of India for selection/appointment to the posts of State Chief Information Commissioner and State Information Commissioner in Himachal Pradesh State Information

Commission, under the provisions contained in Section 15 (5) & (6) of the Right to Information Act, 2005, due to policy decision of shifting the office of Himachal Pradesh State Information Commission from Shimla to Kangra at Dharamshala. The State Chief Information Commissioner and the State Information Commissioner shall be a person of eminence in public life with wide knowledge and experience in law, science and technology, social service, management, journalism, mass media or administration and governance and shall not be a Member of Parliament or Member of the Legislature of any State or Union territory, as the case may be or hold any other office of profit or connected with any political party or carrying on any business or pursuing any profession. The term of holding office shall be three years from the date on which a State Chief Information Commissioner and State Information Commissioner enter upon his office or till he attains the age of 65 years whichever is earlier.

2. Eligible and interested candidates can send their biodata for the posts of State Chief Information Commissioner and State Information Commissioner on prescribed Proforma (Annexure-A and Annexure-B) that can be downloaded from Administrative Reforms Department's website www.himachal.nic.in/ar. Applications should be addressed to the Secretary (AR) to the Govt of H.P., Room No. A201 or A203 (Armsdale Building), H.P Secretariat Shimla-2 or be sent by e-mail to arsecy-hp@nic.in or arbr-hp@nic.in

3. The last date of receipt of applications is 11-02-2026 upto 11:59:59 P.M. Incomplete applications or applications received after deadlines will not be accepted. Advertisement is also uploaded on AR department website: www.himachal.nic.in/ar and H.P. State Information Commission website: www.hp.gov.in/sic

Note: 'For inquiry please contact on 0177-2880400, 2620560 any working day between 10:00 A.M. to 5:00 P.M.'.

Annexure-A

Application for the post of State Chief Information Commissioner in H.P State Information Commission, Shimla-2

PROFORMA

Latest passport Size photograph

1. Name of Applicant ----------
2. Name of Father/Spouse ----------
3. Date of Birth ----------
4. Present Address ----------
5. Permanent Address ----------
6. Contact Number ----------

(a) Telephone No. with STD code ----------

(b) Mobile No. ----------

(c) e-mail id ----------

7. Qualifications ----------
8. Specialization/eminence ----------
9. Present Occupation ----------
10. Achievements/Work experience (in brief) ----------

Date:
Place:

Signature
Name of Applicant
Mobile No.

Annexure-B

Application for the post of State Information Commissioner in H.P. State Information Commission, Shimla-2

PROFORMA

Latest passport Size photograph

1. Name of Applicant ----------
2. Name of Father/Spouse ----------
3. Date of Birth ----------
4. Present Address ----------
5. Permanent Address ----------
6. Contact Number ----------

(a) Telephone No. with STD code ----------

(b) Mobile No. ----------

(c) e-mail id ----------

7. Qualifications ----------

8. Specialization/eminence ----------

9. Present Occupation ----------

10. Achievements/Work experience (in brief) ----------

Date: Signature
Place: Name of Applicant
Mobile No.

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 12 जनवरी, 2026

संख्याः जी ए डी बी (एफ)2-1/2025-I.— जनगणना नियम, 1990 के नियम 8 के उपखंड (iii) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह अधिसूचित करते हैं कि भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के माध्यम से **अधिसूचना संख्या सी.जी.-डी.एल.-अ.-07012026-269171, सं. 89, का.आ.99(अ), फा. सं . संख्या 9/8/2025-सीडी (सीइएन),** दिनांक **07 जनवरी, 2026** को भारत के **राजपत्र (असाधारण), भाग II—खंड 3-उप-खंड (ii)** में प्रकाशित अधिसूचना को, अधिसूचना संख्यांक GAD-B(A) 4-2/2018-I, दिनांक 28 अप्रैल 2020 के अनुक्रम में, राज्य के आधिकारिक ई-राजपत्र में पुनः प्रकाशित किया जा रहा है।

उक्त अधिसूचना भारत की जनगणना, 2027 के प्रथम चरण के संचालन तिथियों के संबंध में है, जिसके अनुसार हिमाचल प्रदेश में मकानसूचीकरण और मकानों की गणना 12 मई, 2026 से 11 जून, 2026 तक आयोजित की जाएगी स्व-गणना के लिए विकल्प भी उपलब्ध होगा, जो कि तीस दिन की घर-घर जाकर मकान सूचीकरण का कार्य आरंभ होने से ठीक पहले पंद्रह दिन की समयावधि में संचालित किया जाएगा।

यह अधिसूचना भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली जनगणना नियम 1990 के नियम 6क और नियम 6घ के साथ पठित जनगणना अधिनियम, 1948 (1948 का 37) की धारा 3 और धारा 17क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई है ।

आदेश द्वारा,
संजय गुप्ता,
मुख्य सचिव ।

AUTHORATATIVE ENGLISH TEXT

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 12th January, 2026

No. GAD-B(F)2-1/2025-I.—In exercise of the powers conferred by sub-section (iii) of rule 8 of the Census rules, 1990, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to re-publish the Notification No. **CG-DL-E-07012026-269171, No. 89, S.O. 99(E), F. No: 9/8/2025- CD (Cen),** dated **07TH January, 2026** published in **Extraordinary, PART II, Section 3-Sub-Section (ii),** in continuation to the Notification No. GAD-B(A) 4-2/2018-I, dated 29th April, 2020 regarding the date for the conducting first phase of Census of India, 2027 that is House listing and Housing Census in Himachal Pradesh from 12th May, 2026 to 11th June, 2026 with the option for self-enumeration which shall be conducted in fifteen days' time period just before the start of house to house Houselisting operations of thirty days.

The notification is issued by the Registrar General and Census Commissioner, India, Ministry of Home Affairs, New Delhi in exercise of powers conferred upon them section 3 and section 17A of the Census Act, 1948 (37 of 1948) read with rules 6A and 6D of the Census Rules, 1990.

By order,

SANJAY GUPTA,
Chief Secretary.

गृह मंत्रालय

(भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 07 जनवरी, 2026

का.आ. 99(अ).— केंद्रीय सरकार, जनगणना नियम 1990 के नियम 6क और नियम 6घ के साथ पठित जनगणना अधिनियम, 1948 (1948 का 37) की धारा 3 और धारा 17क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3 उपखंड (ii), तारीख 9 जनवरी, 2020 में प्रकाशित भारत सरकार के गृह मंत्रालय (भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 119 (अ), तारीख 7 जनवरी, 2020 को उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, यह घोषणा करती है कि भारत की जनगणना 2027 से संबंधित मकानसूचीकरण का कार्य 1 अप्रैल, 2026 से 30 सितंबर, 2026 के बीच भारत के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र द्वारा विनिर्दिष्ट तीस दिन की अवधि के दौरान किया जाएगा। स्व-गणना के लिए विकल्प भी उपलब्ध होगा, जो कि तीस दिन की घर-घर जाकर मकान सूचीकरण का कार्य आरंभ होने से ठीक पहले पंद्रह दिन की समयावधि में संचालित किया जाएगा ।

[फा. सं.9/8/2025-सीडी (सीइएन)]

मृत्युंजय कुमार नारायण,
भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त।

AUTHORATATIVE ENGLISH TEXT

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(Office of Registrar General, India)

NOTIFICATION

New Delhi, the 07th January, 2026

S.O. 99(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 and Section 17A of the Census Act, 1948 (37 of 1948) read with rules 6A and 6D of the Census Rules, 1990 and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs (Office of the Registrar General, India) number S.O. 119(E), dated the 7th January, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 9th January, 2020, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby declares that the houselisting operations of the Census of India 2027 shall take place between 1st April, 2026 and 30th September, 2026 in all States and Union territories in India during the period of thirty days specified by each State and Union territory. There shall also be an option for self enumeration which shall be conducted in fifteen days' time period just before the start of house to house Houselisting operations of thirty days.

[F. No. 9/8/2025-CD(Cen)]
MRITUNJAY KUMAR NARAYAN,
Registrar General and Census Commissioner, India.

ब अदालत श्री रमन ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती तारीख पेशी : 03–02–2026

नाग चन्द पुत्र श्री नकविन्दू पुत्र श्री वालक राम, निवासी गांव टिक्करी मुशैहरा, डाकघर चौन्तड़ा, तहसील जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र बराये दुरुस्ती राजस्व अभिलेख में प्रार्थी का नाम दुरुस्त करके भाग चन्द पुत्र श्री नकविन्दू पुत्र श्री वालक राम के बजाये नाग चन्द पुत्र श्री नकविन्दू पुत्र श्री वालक राम दर्ज करने बारे।

नाग चन्द पुत्र श्री नकविन्दू पुत्र श्री वालक राम, निवासी गांव टिक्करी मुशैहरा, डाकघर चौन्तड़ा, तहसील जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने अदालत हजा में प्रार्थना–पत्र गुजारा है कि वह महाल गनेहड़, तहसील बैजनाथ में भू–स्वामी है तथा राजस्व अभिलेख में प्रार्थी का नाम भाग चन्द पुत्र श्री नकविन्दू पुत्र श्री वालक राम है, जबकि प्रार्थी का असल नाम नाग चन्द पुत्र श्री नकविन्दू पुत्र श्री वालक राम है। लिहाजा इसे दुरुस्त करके नाग चन्द पुत्र श्री नकविन्दू पुत्र श्री वालक राम किया जावे।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस बारे में कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 03–02–2026 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में

असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपने उजर / एतराज पेश कर सकता है अन्यथा प्रार्थना–पत्र में नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 23–12–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर द्वारा अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

———————

ब अदालत श्री रमन ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती तारीख पेशी : 03–02–2026

रणजीत कुमार पुत्र श्री पूर्ण चन्द पुत्र श्री वुधीया, निवासी गांव व डाकघर भेट झिकली, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र बराये दुरुस्ती राजस्व अभिलेख में प्रार्थी का नाम दुरुस्त करके रजत पुत्र श्री पूर्ण चन्द पुत्र श्री वुधीया के बजाये रणजीत कुमार पुत्र श्री पूर्ण चन्द पुत्र श्री वुधीया दर्ज करने बारे।

रणजीत कुमार पुत्र श्री पूर्ण चन्द पुत्र श्री वुधीया, निवासी गांव व डाकघर भेट झिकली, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने अदालत हजा में प्रार्थना–पत्र गुजारा है कि वह महाल भेट झिकली, तहसील बैजनाथ में भू–स्वामी है तथा राजस्व अभिलेख में प्रार्थी का नाम रजत पुत्र श्री पूर्ण चन्द पुत्री श्री वुधीया दर्ज है, जबकि प्रार्थी का असल नाम रणजीत कुमार पुत्र श्री पूर्ण चन्द पुत्र श्री वुधीया है। लिहाजा इसे दुरुस्त करके रणजीत कुमार पुत्र श्री पूर्ण चन्द पुत्र श्री वुधीया किया जावे।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस बारे में कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 03–02–2026 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपने उजर / एतराज पेश कर सकता है अन्यथा प्रार्थना–पत्र में नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 23–12–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर द्वारा अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

———————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किस्म मुकद्दमा : मृत्यु पंजीकरण तारीख पेशी : 25–02–2025

ज्योति प्रकाश पुत्र स्व0 श्री मस्त राम, गांव डुहकी, डाकघर हारसी, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) .. प्रार्थी।

बनाम

आम जनता ..... प्रतिवादी।

विषय.––मुश्त्री मुनादी व इश्तहार अखबारी बराये मृत्यु दर्ज करने बारे।

ज्योति प्रकाश पुत्र स्व0 श्री मस्त राम, गांव डुहकी, डाकघर हारसी, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने अधिवक्ता के माध्यम से हाजिर होकर प्रार्थना–पत्र हल्फी ब्यान पेश कर आवेदन किया है कि मेरी दादी श्रीमती कुन्ती देवी विधवा स्व0 श्री मस्त राम, गांव डुहकी, डाकघर हारसी, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 की मृत्यु दिनांक 15–11–1986 को हुई है। इस सन्दर्भ में प्रार्थी ने अपना शपथ–पत्र भी संलग्न किया है, परन्तु अज्ञानतावश प्रार्थी के घर वालों ने मृत्यु पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत काथला के अभिलेख में दर्ज न करवाया है। अतः प्रार्थी न्यायालय के माध्यम से अपनी दादी की मृत्यु का पंजीकरण करने का आदेश ग्राम पंचायत काथला को जारी करवाना चाहता है।

अतः प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार करते हुए इस इश्तहार मुश्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से प्रतिवादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी की दादी श्रीमती कुन्ती देवी विधवा स्व0 श्री मस्त राम, गांव डुहकी, डाकघर हारसी, तहसील जससिंहपुर, जिला कांगड़ा हि0प्र0 की मृत्यु तिथि 15–11–1986 के पंजीकरण बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 25–02–2026 को दोपहर 02.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है अन्यथा बाद गुजरने तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त मृत्यु पंजीकरण दर्ज करने का आदेश सम्बन्धित स्थानीय पंजीकार, ग्राम पंचायत सचिव काथला को जारी कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 30–12–2025 को जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

**ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कांगड़ा,
तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

मिसल नं0	तारीख दायरा	तारीख पेशी
128 / 2025 / TEH	23–12–2025	21–01–2026

प्रार्थी रणजीत सिंह पुत्र रावण राम, निवासी गांव व डा0 समीरपुर, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र जेर धारा 37(2) भू–राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

उपरोक्त प्रार्थी द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि उसका नाम महाल चकलू पटवार वृत्त समीरपुर में रण सिंह दर्ज है, जोकि गलत है

जबकि अन्य कागजात में प्रार्थी का नाम रणजीत सिंह पुत्र रावण सिंह दर्ज है, जोकि सही है। अतः राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का सही नाम रण सिंह की बजाए रण सिंह उर्फ रणजीत सिंह पुत्र रावण राम का सही इन्द्राज दर्ज किया जाए।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 21–01–2026 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 24–12–2026 को हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

**ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कांगड़ा,
तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

मिसल नं0	तारीख दायरा	तारीख पेशी
123 / 2025 / TEH	16–12–2025	21–01–2026

प्रार्थिया श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी देव राज, निवासी महाल वाड़छ, डा0 दौलतपुर, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र जेर धारा 37(2) भू–राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

उपरोक्त प्रार्थिया द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थिया द्वारा आग्रह किया गया है कि उसका नाम महाल बाड़छ पटवार वृत्त चौहन्दा में पुन्या देवी दर्ज है, जोकि गलत है जबकि अन्य कागजात में प्रार्थिया का नाम श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी देवराज दर्ज है, जोकि सही है। अतः राजस्व रिकार्ड में प्रार्थिया का सही नाम श्रीमती पिन्या देवी की बजाए श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी शंकर दास का सही इन्द्राज दर्ज किया जाए।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 21–01–2026 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 24–12–2025 को हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी कांगड़ा,
तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0	तारीख दायरा	तारीख पेशी
60 / 2025	16–12–2025	21–01–2026

पंजीकरण प्रार्थिया श्रीमती सलोचना देवी पुत्री वीरू राम, निवासी गांव व डा0 सलोल, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु पंजीकरण करने बारे।

पंजीकरण प्रार्थिया श्रीमती सलोचना देवी पुत्री वीरू राम, निवासी गांव व डा0 सलोल, तहसील व जिला कांगड़ा ने प्रार्थना–पत्र बाबत जन्म तारीख पंजीकरण प्रस्तुत किया गया है प्रार्थिया द्वारा आग्रह किया गया कि उसका जन्म दिनांक 09–11–1966 को हुआ है। लेकिन उक्त जन्म तारीख पंजीकरण ग्राम पंचायत सलोल, तहसील व जिला कांगड़ा के रिकॉर्ड में दर्ज न हो सकी है। अतः उक्त तारीख को दर्ज करने के आदेश जारी किए जाएं।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तारीख पंजीकरण बारे किसी को कोई एतराज हो तो दिनांक 21–01–2026 को दोपहर समय 2.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। एतराज प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना–पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 24–12–2025 को हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार कांगड़ा,
तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0	तारीख दायरा	तारीख पेशी
122 / 2025 / TEH	16–12–2025	21–01–2026

प्रार्थी मनोज कुमार पुत्र प्रेम चन्द, निवासी महाल बाग मौजा इच्छी, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र जेर धारा 37(2) भू–राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

उपरोक्त प्रार्थी द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि उसके दादा का नाम महालाबाग मौजा इच्छी पटवार वृत गगल बाम्वरू पुत्र निहालू दर्ज है, जोकि गलत है जबकि अन्य कागजात में प्रार्थी के दादा का सही नाम गरीबू राम पुत्र निहालू दर्ज है जो कि सही है अतः राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के दादा का सही नाम वाम्बरू की बजाए बाम्वरू उर्फ गरीवू राम का सही इन्द्राज दर्ज किया जाए।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 21–01–2026 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 24–12–2025 को हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

**ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

मिसल नं0	तारीख दायरा	तारीख पेशी
59 / 2025	16–12–2025	21–01–2026

पंजीकरण प्रार्थी सोनी राम पुत्र गलोरा राम, निवासी महाल मिहालू, डा0 जमानावाद, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु पंजीकरण करने बारे।

पंजीकरण प्रार्थिया सोनी राम पुत्र गलोरा राम, निवासी महाल मिहालू, डा0 जमानावाद, तहसील व जिला कांगड़ा ने प्रार्थना–पत्र बाबत जन्म तारीख पंजीकरण प्रस्तुत किया गया है प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया कि उसका जन्म दिनांक 02–11–1971 को हुआ है। लेकिन उक्त जन्म तारीख पंजीकरण ग्राम पंचायत जमानावाद, तहसील व जिला कांगड़ा के रिकॉर्ड में दर्ज न हो सकी है। अतः उक्त तारीख को दर्ज करने के आदेश जारी किए जाएं।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तारीख पंजीकरण बारे किसी को कोई एतराज हो तो दिनांक 21–01–2026 को दोपहर समय 2.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता हैं। एतराज प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना–पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 16–12–2025 को हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0	तारीख दायरा	तारीख पेशी
61 / 2025	16–12–2025	21–01–2026

पंजीकरण प्रार्थी श्री विपन कुमार पुत्र ओम प्रकाश व श्रीमती अरुणा कुमारी पत्नी विपिन कुमार, निवासी गांव वंदल, डा0 पलेरा, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु पंजीकरण करने बारे।

पंजीकरण प्रार्थी श्री विपन कुमार पुत्र ओम प्रकाश व श्रीमती अरुणा कुमारी पत्नी विपिन कुमार, निवासी गांव वंदल, डा0 पलेरावजरियां कौंसिल श्री आर. एस. कंवर द्वारा अधिवक्ता कांगड़ा, तहसील वजिला कांगड़ा ने प्रार्थना–पत्र बाबत जन्म तारीख पंजीकरण प्रस्तुत किया गया है प्रार्थीगण द्वारा आग्रह किया गया कि उनके पुत्र समर्थ का जन्म 30–07–2025 को गांव वंदल, डा0 पलेरा, तहसील व जिला कागड़ा में हुआ है। लेकिन उक्त जन्म तारीख पंजीकरण ग्राम पंचायत पलेरा, तहसील व जिला कांगड़ा के रिकॉर्ड में दर्ज न हो सकी है। अतः उक्त तारीख को दर्ज करने के आदेश जारी किए जाएं।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तारीख पंजीकरण बारे किसी को कोई एतराज हो तो दिनांक 21–01–2026 को दोपहर समय 2.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। एतराज प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना–पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 16–12–2025 को हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0	तारीख दायरा	तारीख पेशी
58 / 2025	16–12–2025	21–01–2026

पंजीकरण प्रार्थिया श्रीमती आशा शर्मा पुत्री औंकार चन्द शर्मा, निवासी वार्ड नं0 9, हाऊस नं0 2827, कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु पंजीकरण करने बारे।

पंजीकरण प्रार्थिया श्रीमती आशा कुमारी शर्मा पुत्री औंकार चन्द शर्मा, निवासी वार्ड नं0 9, हाऊस नं0 2827, कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा ने प्रार्थना–पत्र बाबत जन्म तारीख पंजीकरण बारे प्रस्तुत किया है कि उसका जन्म दिनांक 01–10–1965 को हुआ है। लेकिन उक्त जन्म तारीख पंजीकरण Municipal Council Kangra तहसील व जिला कागड़ा के रिकॉर्ड में दर्ज न हो सकी है। अतः उक्त तारीख को दर्ज करने के आदेश जारी किए जाएं।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तारीख पंजीकरण बारे किसी को कोई एतराज हो तो दिनांक 21–01–2026 को दोपहर समय 2.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। एतराज प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना–पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 16–12–2025 को हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप–तहसील ठाकुरद्वारा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0
86 Misc/NT/2025

श्री वन्टी पुत्र स्व0 श्री किशोरी लाल, निवासी गांव व डाकघर पराल, उप–तहसील ठाकुरद्वारा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 ..प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी श्री वन्टी पुत्र स्व0 श्री किशोरी लाल, निवासी गांव व डाकघर पराल, उप–तहसील ठाकुरद्वारा, जिला कागड़ा (हि0प्र0) ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि मेरी माता स्व0 श्रीमती रीता देवी पत्नी स्व0 श्री किशोरी लाल की मृत्यु दिनांक 25–06–2007 को गांव व डाकघर पराल, उप–तहसील ठाकुरद्वारा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 में हुई थी। जिसे वह अज्ञानतावश पंचायत रिकॉर्ड में दर्ज न करवा सका। जिसे वह ग्राम पंचायत पराल के पंचायत रिकॉर्ड में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार के द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त मृत्यु पंजीकरण दर्ज करवाने बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर / एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 23–01–2026 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। कोई एतराज पेश न होने की सूरत में मृत्यु पंजीकरण ग्राम पंचायत रिकॉर्ड में दर्ज करने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 24–01–2025 को हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप–तहसील ठाकुरद्वारा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत श्री हरीश कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी / तहसीलदार, मुलथान, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नं0 : 01 / 2026 तारीख पेशी : 28–01–2026

उनवान मुकद्दमा :

उर्मिला देवी पुत्री गोरखू राम पत्नी बली राम हाल पता गांव राजगुन्धा, डा0 बड़ाग्रां, तहसील मुलथान, जिला कागड़ा (हि0प्र0) वादिया।

बनाम

आम जनता प्रतिवादी।

आवेदन पत्र बाबत जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित मुकद्दमा इस अदालत में विचाराधीन है जिसमें उपरोक्त वादिया उर्मिला देवी पुत्री गोरखू राम पत्नी बली राम हाल पता गांव राजगुन्धा, डा0 बड़ाग्रॉ, तहसील मुलथान, जिला कागड़ा, हि0प्र0 ने प्रार्थना की है कि उसके पिता गोरखू राम की मृत्यु दिनांक 10–05–1995 को गांव राजगुन्धा, डा0 बडाग्रां, तहसील मुलथान, जिला कागड़ा (हि0प्र0) में हुई है। वादिया के पिता की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में अज्ञानता व भूलवश समय पर दर्ज नहीं करवा सके तथा अब सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव बडाग्रां को दर्ज करने के आदेश पारित करने की प्रार्थना की है।

अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा प्रतिवादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि वादिया के पिता गोरखू राम की उपरोक्त मृत्यु तिथि 10–05–1995 ग्राम पंचायत बडाग्रां के अभिलेख के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 28–01–2026 को इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में निर्धारित तिथि के बाद किसी प्रकार का कोई भी उजर व एतराज स्वीकार्य न होगा तथा नियमानुसार उपरोक्त मृत्यु तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 05–01–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी मुलथान,
जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

————————

ब अदालत श्री हरीश कुमार तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नं0 : 70861 / 2026 तारीख पेशी : 28–01–2026

उनवान मुकद्दमा :

श्रीमती खुडडी देवी पुत्री स्व0 चन्द्रमणी, गांव भुजलिंग, डा0 लोहारडी, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) .. वादिया।

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादी।

आवेदन पत्र बाबत जेर धारा 37(2) भू–राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत।

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित मुकद्दमा इस अदालत में विचाराधीन है जिसमें प्रार्थिया श्रीमती खुडडी देवी पुत्री स्व0 चन्द्रमणी, पैतृक गांव भुजलिंग, डा0 लोहारडी, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने प्रार्थना की है कि उसका नाम मुहाल भुजलिंग, तहसील मुलथान, जिला कागड़ा हि0प्र0 के राजस्व अभिलेख में गलती से सुमना देवी दर्ज किया गया है जबकि प्राथिया का नाम अन्य रिकॉर्ड आधार कॉर्ड, परिवार रजिस्टर व स्कूल प्रमाण–पत्र में खुडडी देवी दर्ज है जो सही व दुरुस्त नाम है।

अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा प्रतिवादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया का नाम उपरोक्त मुहाल के तमाम राजस्व अभिलेख में सुमना देवी के स्थान पर सुमना देवी उर्फ खुडडी देवी पुत्री स्व0 चन्द्रामणी नाम दर्ज किया जाने के सम्बन्ध में यदि कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 28 / 01 / 2026 को इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में निर्धारित तिथि के बाद किसी प्रकार का कोई भी उजर व एतराज स्वीकार्य न होगा तथा नियमानुसार उक्त प्रार्थिया का नाम मुहाल भुजलिंग के तमाम राजस्व अभिलेख में सुमना देवी के स्थान पर सुमना देवी उर्फ खुडडी देवी पुत्री स्व0 चन्द्रमणी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 05–01–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता मुलथान,
जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

————————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)

शीर्षक :–

मुनीर एहमद पुत्र असमैल मुहम्मद, निवासी गांव डिनक, डाकघर कनैड, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0प्र0 .. प्रार्थी।

बनाम

आम जनता .. प्रत्यार्थी।

प्रार्थना–पत्र अधीन धारा 13(3), जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत महादेव, तहसील सुन्दरनगर में जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

आवेदक मुनीर एहमद पुत्र असमैल मुहम्मद, निवासी गांव डिनक, डाकघर कनैड, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0प्र0 ने इस न्यायालय में आवेदन–पत्र अधीन धारा 13(3), जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969, मय District Registrar (Birth & Death)-*cum*-Chief Medical Officer Mandi द्वारा जारी पत्र तथा अनुपलब्धता प्रमाण–पत्र तथा दो गवाहन के शपथ पत्र आदि सहित प्रस्तुत किया है कि उसका जन्म दिनांक 20–03–1962 को गांव डिनक, डाकघर कनैड, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0प्र0 में हुआ है, परन्तु जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत महादेव, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0प्र0 के अभिलेख में दर्ज नहीं है। आवेदक अपनी जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत महादेव, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0प्र0 के अभिलेख में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तिथि पंजीकरण बारा किसी भी प्रकार का कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 24–01–2026 को मुकर्रर तारीख पर बवक्त 10.00 बजे सुबह असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा आपके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 24–12–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)

शीर्षक :–

जरा चन्द पुत्र बनारसी दास, निवासी गांव भौर, डाकघर कनैड, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0प्र0 .. प्रार्थी।

बनाम

आम जनता .. प्रत्यार्थी।

प्रार्थना–पत्र अधीन धारा 13(3), जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कनैड, तहसील सुन्दरनगर में मृत्यु तिथि दर्ज करने बारे।

आवेदक तारा चन्द पुत्र बनारसी दास, निवासी गांव भौर, डाकघर कनैड, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0प्र0 ने इस न्यायालय में आवेदन–पत्र अधीन धारा 13(3), जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969, मय District Registrar (Birth & Death)-*cum*-Chief Medical Officer Mandi द्वारा जारी पत्र तथा अनुपलब्धता प्रमाण पत्र तथा दो गवाहन के शपथ पत्र आदि सहित प्रस्तुत किया है कि उसकी माता की मृत्यु दिनांक 08–04–1984 को गांव भौर, डाकघर कनैड, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0प्र0 में हुई है, परन्तु मृत्यु तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत कनैड, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0प्र0 के अभिलेख में दर्ज नहीं है। आवेदक अपनी माता की मृत्यु तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत कनैड, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0प्र0 के अभिलेख में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त मृत्यु तिथि पंजीकरण बारा किसी भी प्रकार का कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 30–01–2026 को मुकर्रर तारीख पर बवक्त 10.00 बजे सुबह असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा आपके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 30–12–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)

शीर्षक :–

हिरदी देवी पुत्री श्री पौशू राम, निवासी गांव अम्बेडकर नगर, डाकघर भोजपुर, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0प्र0 .. प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता .. प्रत्यार्थी।

प्रार्थना–पत्र अधीन धारा 13(3), जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत नगर परिषद सुन्दरनगर, तहसील सुन्दरनगर में जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

आवेदिका हिरदी देवी पुत्री श्री पौशू राम, निवासी गांव अम्बेडकर नगर, डाकघर भोजपुर, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0प्र0 ने इस न्यायालय में आवेदन–पत्र अधीन धारा 13(3), जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969, मय District Registrar (Birth & Death)-*cum*-Chief Medical Officer Mandi द्वारा जारी पत्र तथा अनुपलब्धता प्रमाण–पत्र तथा दो गवाहन के शपथ पत्र आदि सहित प्रस्तुत किया है कि उसका जन्म दिनांक 15–03–1958 को हुआ है, परन्तु जन्म तिथि का पंजीकरण नगर परिषद सुन्दरनगर, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0प्र0 के अभिलेख में दर्ज नहीं है। आवेदिका अपनी जन्म तिथि का पंजीकरण नगर परिषद सुन्दरनगर, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0प्र0 के अभिलेख में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तिथि पंजीकरण बारा किसी भी प्रकार का कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 27–01–2026 को मुकर्रर तारीख पर बवक्त 10.00 बजे सुबह असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा आपके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 24–12–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)

शीर्षक :–

सलीम मुहम्मद पुत्र गुलजार मुहम्मद, निवासी गांव डिनक, डाकघर कनैड, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0प्र0 .. प्रार्थी।

बनाम

आम जनता .. प्रत्यार्थी।

प्रार्थना–पत्र अधीन धारा 13(3), जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कनैड, तहसील सुन्दरनगर में जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

आवेदक सलीम मुहम्मद पुत्र गुलजार मुहम्मद, निवासी गांव डिनक, डाकघर कनैड, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0प्र0 ने इस न्यायालय में आवेदन–पत्र अधीन धारा 13(3), जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969, मय District Registrar (Birth & Death)-*cum*-Chief Medical Officer Mandi द्वारा जारी पत्र, तथा अनुपलब्धता प्रमाण–पत्र तथा दो गवाहन के शपथ पत्र आदि सहित प्रस्तुत किया है कि उसका जन्म दिनांक 07–03–1969 को गांव डिनक, डाकघर कनैड, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0प्र0 में हुआ है, परन्तु जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत कनैड, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0प्र0 के अभिलेख में दर्ज नहीं है। आवेदक अपनी जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत कनैड, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0प्र0 के अभिलेख में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तिथि पंजीकरण बारा किसी भी प्रकार का कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 24–01–2026 को मुकर्रर तारीख पर बवक्त 10.00 बजे सुबह असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा आपके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 24–12–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)

शीर्षक :–

हैदर अली पुत्र गुलाम रसूल, निवासी गांव डिनक, डाकघर कनैड, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0प्र0 .. प्रार्थी।

बनाम

आम जनता .. प्रत्यार्थी।

प्रार्थना–पत्र अधीन धारा 13(3), जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत महादेव, तहसील सुन्दरनगर में जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

आवेदक हैदर अली पुत्र गुलाम रसूल, निवासी गांव डिनक, डाकघर कनैड, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0प्र0 ने इस न्यायालय में आवेदन–पत्र अधीन धारा 13(3), जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969, मय District Registrar (Birth & Death)-*cum*-Chief Medical Officer Mandi द्वारा जारी पत्र तथा अनुपलब्धता प्रमाण–पत्र तथा दो गवाहन के शपथ पत्र आदि सहित प्रस्तुत किया है कि उसका जन्म दिनांक 14–08–1963 को गांव डिनक, डाकघर कनैड, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0प्र0 में हुआ है, परन्तु जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत महादेव, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0प्र0 के अभिलेख में दर्ज नहीं है। आवेदक अपनी जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत महादेव, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0प्र0 के अभिलेख में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तिथि पंजीकरण बारा किसी भी प्रकार का कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 24–01–2026 को मुकर्रर तारीख पर बवक्त 10.00 बजे सुबह असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा आपके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 24–12–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)

शीर्षक :–

नीम अख्तर पुत्र शेर अली, निवासी गांव डिनक, डाकघर कनैड, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0प्र0 .. प्रार्थी।

बनाम

आम जनता .. प्रत्यार्थी।

प्रार्थना–पत्र अधीन धारा 13(3), जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत महादेव, तहसील सुन्दरनगर में जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

आवेदक नीम अख्तर पुत्र शेर अली, निवासी गांव डिनक, डाकघर कनैड, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0प्र0 ने इस न्यायालय में आवेदन–पत्र अधीन धारा 13(3), जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969, मय District Registrar (Birth & Death)-*cum*-Chief Medical Officer Mandi द्वारा जारी पत्र तथा अनुपलब्धता प्रमाण–पत्र तथा दो गवाहन के शपथ पत्र आदि सहित प्रस्तुत किया है कि उसका जन्म दिनांक 14–10–1964 को गांव डिनक, डाकघर कनैड, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0प्र0 में हुआ है, परन्तु जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत महादेव, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0प्र0 के अभिलेख में दर्ज नहीं है। आवेदक अपनी जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत महादेव, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0प्र0 के अभिलेख में में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तिथि पंजीकरण बारा किसी भी प्रकार का कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 24–01–2026 को मुकर्रर तारीख पर बवक्त 10.00 बजे सुबह असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा आपके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 24–12–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)

शीर्षक :–

आशिया खातून पुत्री नीम अख्तर, निवासी गांव डिनक, डाकघर कनैड, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0प्र0 .. प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता .. प्रत्यार्थी।

प्रार्थना–पत्र अधीन धारा 13(3), जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत डुगराई, तहसील सुन्दरनगर में जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

आवेदिका आशिया खातून पुत्री नीम अख्तर, निवासी गांव डिनक, डाकघर कनैड, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0प्र0 ने इस न्यायालय में आवेदन–पत्र अधीन धारा 13(3), जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969, मय District Registrar (Birth & Death)-*cum*-Distict Health Officer Mandi द्वारा जारी पत्र तथा अनुपलब्धता प्रमाण–पत्र तथा दो गवाहन के शपथ पत्र आदि सहित प्रस्तुत किया है कि उसका जन्म दिनांक 30–03–1987 को गांव डिनक, डाकघर कनैड, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0प्र0 में हुआ है, परन्तु जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत डुगराई, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0प्र0 के अभिलेख में दर्ज नहीं है। आवेदिका अपनी जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत डुगराई, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0प्र0 के अभिलेख में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तिथि पंजीकरण बारा किसी भी प्रकार का कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 24–01–2026 को मुकर्रर तारीख पर बवक्त 10.00 बजे सुबह असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा आपके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 24–12–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)

शीर्षक :–

जुबैदा बीबी पुत्री फते मुहम्मद, निवासी गांव डिनक, डाकघर कनैड, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0प्र0 .. प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता .. प्रत्यार्थी।

प्रार्थना–पत्र अधीन धारा 13(3), जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कनैड, तहसील सुन्दरनगर में जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

आवेदिका जुबैदा बीबी पुत्री फते मुहम्मद, निवासी गांव डिनक, डाकघर कनैड, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0प्र0 ने इस न्यायालय में आवेदन–पत्र अधीन धारा 13(3), जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969, मय District Registrar (Birth & Death)-*cum*-Chief Medical Officer Mandi द्वारा जारी पत्र तथा अनुपलब्धता प्रमाण–पत्र तथा दो गवाहन के शपथ पत्र आदि सहित प्रस्तुत किया है कि उसका जन्म दिनांक 13–01–1970 को गांव डिनक, डाकघर कनैड, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0प्र0 में हुआ है, परन्तु जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत कनैड, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0प्र0 के अभिलेख में दर्ज नहीं है। आवेदिका अपनी जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत कनैड, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0प्र0 के अभिलेख में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तिथि पंजीकरण बारा किसी भी प्रकार का कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 24–01–2026 को मुकर्रर तारीख पर बवक्त 10.00 बजे सुबह असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा आपके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 24–12–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

———————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

श्रीमती बाला देवी पुत्री स्व0 श्री हुक्मी राम, निवासी गांव, डा0 एवं ग्राम पंचायत कौलांवालाभूड, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

अदालती इश्तहार / नोटिस

प्रार्थिया श्रीमती बाला देवी पुत्री स्व0 श्री हुक्मी राम, निवासी गांव, डा0 एवं ग्राम पंचायत कौलांवालाभूड, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत एक आवेदन जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) / मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला सिरमौर स्थित नाहन के पत्र क्रमांक HFW-N/ST/B&D/Delayed Cases/2025-10710, दिनांक 21–11–2025 अनुलग्न क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, आधार कार्ड, दो गवाहन के ब्यान हल्फी, अनुपलब्धता प्रमाण–पत्र रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत बर्मा पापड़ी, विद्यालय छोड़ने का प्रमाण–पत्र, प्रति परिवार रजिस्टर एवं अन्य कागजात सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थिया ने आवेदन किया है कि उसकी जन्म तिथि 15–02–1974 है, जिसे वह एवं उसका परिवार अज्ञानतावश ग्राम पंचायत कौलांवालाभूड, तहसील नाहन में दर्ज न करवा सके। अब वह अपनी जन्म तिथि ग्राम पंचायत कौलांवालाभूड, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0प्र0 में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार / नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 02–02–2026 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर या एतराज प्राप्त नहीं होता तो श्रीमती बाला देवी पुत्री स्व0 श्री हुक्मी राम एवं श्रीमती सीता देवी की जन्म तिथि 15–02–1974 ग्राम पंचायत कौलांवालाभूड़, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0प्र0 में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 01–01–2026 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार),
नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

———

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

श्रीमती साबरी पुत्री श्री फकीर मोहम्मद, निवासी गांव एवं डा0 कौलांवालाभूड, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

अदालती इश्तहार / नोटिस

प्रार्थिया श्रीमती साबरी पुत्री श्री फकीर मोहम्मद, निवासी गांव एवं डा0 कौलांवालसभूड, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत एक आवेदन जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) / मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला सिरमौर स्थित नाहन के पत्र क्रमांक HFW-N/ST/B&D/Delayed Cases/2025-9776, दिनांक 04–11–2025 अनुलग्न क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, आधार कार्ड, दो गवाहन के ब्यान हल्फी, अनुपलब्धता प्रमाण–पत्र रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत बर्मा पापड़ी, नाहन जिला सिरमौर, हि0प्र0 अनुपल्बधता प्रमाण–पत्र रजिस्टार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत कौलांवालाभूड नाहन, जिला सिरमौर, हि0प्र0, परिवार रजिस्टर की प्रति एवं अन्य कागजात सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है। जिसमें प्रार्थिया ने आवेदन किया है कि उसकी जन्म तिथि 06–06–1972 है, जिसे वह एवं उसका परिवार अज्ञानतावश ग्राम पंचायत कौलांवालाभूड में दर्ज न करवा सके। अब वह अपनी जन्म तिथि ग्राम पंचायत कौलांवालाभूड, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0प्र0 में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार / नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 22–01–2026 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का

उजर या एतराज प्राप्त नहीं होता तो श्रीमती साबरी पुत्री श्री फकीर मोहम्मद एवं श्रीमती बिमला बेगम की जन्म तिथि 06–06–1972 ग्राम पंचायत कौलांवालाभूड, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0प्र0 में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 24–12–2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार),
नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

श्री किशन चन्द पुत्र स्व0 श्री ओम प्रकाश, निवासी मकान नम्बर 247 / 5, मोहल्ला अमरपुर नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

अदालती इश्तहार / नोटिस

प्रार्थी श्री किशन चन्द पुत्र स्व0 श्री ओम प्रकाश, निवासी मकान नम्बर 247 / 5, मोहल्ला अमरपुर, नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत एक आवेदन जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) / मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला सिरमौर स्थित नाहन के पत्र क्रमांक HFW-N/ST/B&D/Delayed Cases/2025-11857, दिनांक 16–12–2025 अनुलग्न क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, आधार कार्ड, दो गवाहन के ब्यान हल्फी, अनुपलब्धता प्रमाण–पत्र रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु नगर पालिका नाहन, जिला सिरमौर, हि0प्र0, विद्यालय त्याग–पत्र, रिपोर्ट पार्षद एवं अन्य कागजात सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है जिससे प्रार्थी ने आवेदन किया है कि उसकी जन्म तिथि 16–05–1965 है, जिसे वह एवं उसका परिवार अज्ञानतावश नगर पालिका नाहन, जिला सिरमौर, हि0प्र0 में दर्ज न करवा सके। अब वह अपनी जन्म तिथि नगर पालिका नाहन, जिला सिरमौर, हि0प्र0 में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार / नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 22–01–2025 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर या एतराज प्राप्त नहीं होता तो श्री किशन चन्द पुत्र स्व0 श्री ओम प्रकाश एवं श्रीमती शांति देवी की जन्म तिथि 16–05–1965 नगर पालिका नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0प्र0 में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 24–12–2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार),
नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

श्रीमती रजिया बेगम पुत्री स्व0 श्री अब्दुल रशीद, निवासी मोहल्ला गुन्नुघाट, नजदीक झण्डा जी नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

अदालती इश्तहार / नोटिस

श्रीमती रजिया बेगम पुत्री स्व0 श्री अब्दुल रशीद, निवासी मोहल्ला गुन्नुघाट, नजदीक झण्डा जी नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत एक आवेदन जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) / मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला सिरमौर स्थित नाहन के पत्र क्रमांक HFW-N/ST/B&D/Delayed Cases/2025-11861, दिनांक 16–12–2025 अनुलग्न क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, आधार कार्ड, दो गवाहन के ब्यान हल्फी, अनुपलब्धता प्रमाण–पत्र, विद्यालय त्याग पत्र, रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु नगर पालिका नाहन, जिला सिरमौर, हि0प्र0, कक्षा दस का प्रमाण–पत्र, रिपोर्ट अध्यक्ष नगर पालिका नाहन एवं अन्य कागजात सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है। जिसमें प्रार्थिया ने आवेदन किया है कि उसकी जन्म तिथि 07–10–1964 है, जिसे वह एवं उसका परिवार अज्ञानतावश नगर पालिका नाहन में दर्ज न करवा सके। अब वह अपनी जन्म तिथि नगर पालिका नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0प्र0 में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार / नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 22–01–2026 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर या एतराज प्राप्त नहीं होता तो श्रीमती रजिया बेगम पुत्री स्व0 श्री अब्दुल रशीद एवं श्रीमती खातून की जन्म तिथि 07–10–1964 नगर पालिका नाहन, तहसील नाहन जिला सिरमौर, हि0प्र0 में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 24–12–2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार),
नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

———

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

श्रीमती प्रमीला देवी पुत्री श्री प्रीत्तम सिंह, निवासी गांव एवं डा0 कौलांवालाभूड, ग्राम पंचायत बर्मा पापड़ी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

अदालती इश्तहार / नोटिस

श्रीमती प्रमीला देवी पुत्री श्री प्रीत्तम सिंह, निवासी गांव एवं डा0 कौलांवालाभूड, ग्राम पंचायत बर्मा पापड़ी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत एक आवेदन जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) / मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला सिरमौर

स्थित नाहन के पत्र क्रमांक HFW-N/ST/B&D/Delayed Cases/2025-11859, दिनांक 16–12–2025 अनुलग्न क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, आधार कार्ड, दो गवाहन के ब्यान हल्फी, अनुपलब्धता प्रमाण–पत्र रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत बर्मा पापड़ी, अनुपल्बधता प्रमाण–पत्र रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु जिला पंजीपाल एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला सिरमौर, हि0प्र0, प्रति परिवार रजिस्टर एवं अन्य कागजात सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थिया ने आवेदन किया है कि उसकी जन्म तिथि 10–01–1965 है, जिसे वह एवं उसका परिवार अज्ञानतावश ग्राम पंचायत बर्मा पापड़ी नाहन में दर्ज न करवा सके। अब वह अपनी जन्म तिथि ग्राम पंचायत बर्मा पापड़ी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर हि0प्र0 में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार / नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 22–01–2026 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर या एतराज प्राप्त नहीं होता तो श्रीमती प्रमीला देवी पुत्री श्री प्रीतम सिंह एवं श्रीमती शकुन्तला देवी की जन्म तिथि 10–01–1965 ग्राम पंचायत बर्मा पापड़ी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0प्र0 में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 24–12–2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार),
नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

———

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री ज्ञान चन्द निवासी गांव बनकलां, नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

अदालती इश्तहार / नोटिस

प्रार्थी श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री ज्ञान चन्द निवासी गांव बनकलां, नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत एक आवेदन जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) / मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला सिरमौर स्थित नाहन के पत्र क्रमांक HFW-N/ST/B&D/Delayed Cases/2025-11860, दिनांक 16–12–2025 अनुलग्न क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, आधार कार्ड, दो गवाहन के ब्यान हल्फी, अनुपलब्धता प्रमाण–पत्र रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत बनकलां, जिला सिरमौर, हि0प्र0, अनुपल्बधता प्रमाण–पत्र रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु जिला पंजीपाल एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला सिरमौर, हि0प्र0, प्रति परिवार रजिस्टर, रिपोर्ट प्रधान ग्राम पंचायत, बनकलां एवं अन्य कागजात सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थी ने आवेदन किया है कि उसकी जन्म तिथि 01–07–1963 है, जिसे वह एवं उसका परिवार अज्ञानतावश ग्राम पंचायत बनकलां, जिला सिरमौर, हि0प्र0 में दर्ज न करवा सके। अब वह अपनी जन्म तिथि ग्राम पंचायत बनकलां, जिला सिरमौर हि0प्र0 में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार / नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 22–01–2026 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर या एतराज प्राप्त नहीं होता तो श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री ज्ञान चन्द एवं श्रीमती कान्ता देवी की जन्म

तिथि 01–07–1963 ग्राम पंचायत बनकलां, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0प्र0 में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 24–12–2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार),
नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

———

CHANGE OF NAME

I, Kusam w/o Subhash Chand, r/o Village and Post Office Dhanag, Tehsil Baijnath, Distt. Kangra (H.P.)- 176 125 declare that I have changed my name in Aadhar Card No. 5601-7956-6385 from Kushama Devi to Kusam. Whereas my correct name is Kusam. All concerned please may note.

KUSAM
w/o Subhash Chand,
r/o Village and Post Office Dhanag,
Baijnath, Distt. Kangra (H.P.)- 176 125.

———

CORRECTION OF NAME

I, Sahi Ram s/o Sh. Mimatu Ram, r/o Village Kalath, P.O. Rajana, Tehsil Renuka Ji, Distt. Sirmaur (H.P.) declare that my daughter's correct name is Aarushi, as recorded in Gram Panchayat Rajana, but in Aadhar Card her name has been wrongly Printed & published as Aaroshi. All concerned may please note & correct the same.

SAHI RAM
s/o Sh. Mimatu Ram,
r/o Village Kalath, P.O. Rajana,
Tehsil Renuka Ji, Distt. Sirmaur (H.P.).

———

CHANGE OF NAME

I, Satish Kumar s/o Ram Krishan, Village Baithrin, Post Office Jejwin, Baithrin (79), Bilaspur (H.P.)-174 017 declare that I have changed my minor daughter's name from Reewa Sharma (Old Name) to Revana Rajsi (New Name). All concerned please may note.

SATISH KUMAR
s/o Ram Krishan,
Village Baithrin, Post Office Jejwin, Baithrin (79),
Bilaspur (H.P.)-174 017.

CORRECTION OF NAME

I, Vidya Devi w/o Amar Chand, Phirnu (73), Narkanda, Shimla, Kumharsain(t) (H.P.)- 171 213 declare that in my Aadhar Card No. 8635 5477 7980 my name is wrongly entered as Asha. My real name is Vidya Devi. All concerned please note.

VIDYA DEVI
w/o Amar Chand,
Phirnu (73), Narkanda, Shimla,
Kumharsain(t) (H.P.)- 171 213.

CORRECTION OF NAME

I, Nilma (Correct) w/o Jeet Ram, Tehsil Theog, Village Patladhar, Kot (133), P.O. Shilaru, Distt. Shimla (H.P.)- 171 213 declare that in my Aadhar Card No. 8755 1204 9012 my name is wrongly entered as Nileema. My real name is Nilma. All concerned please note.

NILMA
w/o Jeet Ram,
Tehsil Theog, Village Patladhar, Kot (133),
P.O. Shilaru, Distt. Shimla (H.P.)- 171 213.

CHANGE OF NAME

I, Kalimo Deen age 50 years s/o Basheer Deen, r/o Khana Building Near Maan General Store KNH, Shimla (H.P.) declare that I have changed my minor daughter's name from Sania (Old Name) to Shania (New Name). All concerned please may note.

KALIMO DEEN
s/o Basheer Deen,
r/o Khana Building Near Maan General Store KNH,
Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Rajinder Singh Kukreja (New Name) s/o Late Sh. Harbhajan Singh Kukreja, r/o 508/1, White House, Daizy Bank, Near Mehman Hotel, Lower Jakhoo, Shimla (H.P.)-171 001 hereby declare that I have changed my name from Rishu Kukreja (Old Name) to Rajinder Singh Kukreja (New Name). All concerned please may note.

RAJINDER SINGH KUKREJA
s/o Late Sh. Harbhajan Singh Kukreja,
r/o 508/1, White House, Daizy Bank, Near Mehman Hotel,
Lower Jakhoo, Shimla (H.P.)-171 001.

CHANGE OF NAME

I, Harpreet Kaur (New Name) w/o Sh. Rajinder Singh Kukreja aged about 40 years, r/o 508/1, White House, Daizy Bank, Near Mehman Hotel, Lower Jakhoo, Shimla (H.P.)-171 001 hereby declare that I have changed my name from Preity Kukreja (Old Name) to Harpreet Kaur (New Name). All concerned please may note.

HARPREET KAUR
w/o Sh. Rajinder Singh Kukreja,
r/o 508/1, White House, Daizy Bank, Near Mehman Hotel,
Lower Jakhoo, Shimla (H.P.)-171 001.

————————

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित
इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।